४६५ Transfer — 50000/ Dalting [illegible] ४६४

[illegible] अधिनियम ६२ तथा [illegible]
सहकारी अधिनियम १६०८ की धारा ६
के अधीन ग्राह्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम
१८६६ की अनुसूची १-ग १४ सं० ......62
के अधीन अवायत स्टाम्प सहित।

Stamp duty exempted vide
Article II / [illegible] 9-A-8 —
Indian Stamp act exempted
Bihar ordinance act L[illegible]-1988.

Regn fee exempted
vide [illegible] exemption
Dated 18-12-90

15-7-2000

1- **लेख्यकारी:-** सुदना सहकारी गृह निर्माण समिति लि० द्वारा सचिव श्री उदय प्रताप सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय मनोरंजन सिंह, जाति राजपूत, पेशा गृहस्थी, निवास स्थान- ग्राम सुदना, थाना डालटन गंज, जिला पलामू, भारतीय।

2- **लेख्यधारी:-** श्रीमती मनोरमा देवी पति का नाम श्री राम यश सिंह, जाति राजपूत, पेशा गृहणी, निवास स्थान ग्राम कल्ला कला, पोस्ट तीसी बार, थाना विश्राम पुर, जिला पलामू, भारतीय / सदस्य संख्या 21/2000

3- **लेख्य प्रकार:-** हस्तान्तरण पत्र (Transfer deed)

4- **मूल्य:-** मुबलिग 50000) पचास हजार रुपये मात्र/

5- **सम्पत्ति:-** गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण के लिए परती जमीन क्षेत्रफल 0.07½ डि० (साढ़े सात डिसमिल) जिसका हिंदी नाप लगभग दो कट्ठा होता है, अन्दर मौजा सुदना थाना डालटन गंज, जिला पलामू, सब रजिस्ट्री एवं जिला सब रजिस्ट्री ऑफिस डालटन गंज, स्थित - रैय्यती, पार्ट होल्डिंग एवं पार्ट प्लॉट।

| तौजी नं० | थाना नं० | रकबा नं० |
|---|---|---|
| 21 | 181 | |
| **खाता नं०** | **प्लॉट नं०** | **रकबा** |
| 15 (डोभा) | 606 (कुल का भाग) | 0.07½ डि० (साढ़े सात डिसमिल) |

मैं उदय प्रताप सिंह [illegible] सचिव सुदना सहकारी गृह निर्माण समिति [illegible] जमीन का 50,000.00 (पचास हजार) रुपये [illegible] तक 15-7-2000

पहचान
भोला प्रसाद
पि० राम चन्द्र प्रसाद
सा० जिनगारा
था० डालटनगंज
15.7.2000

कार्यकारिणी मंत्री
सुदना सहकारी गृह [illegible] समिति लि०

2

## चौहद्दी:-

| उत्तर | दक्षिण | पूर्व | पश्चिम |
| --- | --- | --- | --- |
| श्री गोविन्द कुमार मिश्र। | समिति द्वारा छोड़ा गया 15'0" चौड़ा फीट चौड़ा रास्ता। | 20'0" बीस फीट चौड़ा मुख्य रास्ता। | श्रीमती जनु कलिया देवी। |

**वार्षिक लगान:-** अनुमानित 22 पैसे अलावे सेस।

**लगान पाने वाला:-** बिहार सरकार द्वारा अंचल ऑफिस — आलम गंज, पटना।

उपर्युक्त वर्णित सम्पत्ति सुदना सहकारी गृह निर्माण — समिति की स्वयं की रैयती सम्पत्ति में से है, जिसे समिति ने श्री सन्तोष तिवारी पिता का नाम स्वर्गीय नन्द कुमार तिवारी से एक रजिस्ट्री केवाला संख्या 223 दिनांक 19-2-1992 ईस्वी के द्वारा खरीदा है और इसे खरीदने के दिन से ही खरीदी गई सम्पूर्ण सम्पत्ति पर आज तक निर्विवाद दखल कब्जा चला आ रहा है। इस सम्पत्ति में किसी भी अन्य व्यक्ति का हक, हिस्सा अथवा दखल कब्जा नहीं है और ना ही इस पर किसी भी प्रकार का भार ही किया गया है।

चूँकि लेख्यधारिणी हमारी सुदना सहकारी गृह निर्माण समिति की एक सदस्या हैं जिनकी सदस्य संख्या 31 है। लेख्यधारिणी को काफी लम्बे समय से अपने गृह निर्माण के लिए — उपयुक्त भूमि की तलाश थी, परन्तु वे उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं कर सकीं। अतः समिति की उपर वर्णित सम्पत्ति को भी लेख्यधारिणी ने अच्छी तरह से निरीक्षण किया और इसकी सभी सुविधाओं को देखते हुए लेख्यधारिणी ने इसे अपने गृह निर्माण के लिये बिलकुल उपयुक्त देख कर इसे उचित मूल्य में दिये जाने का आग्रह लेख्यधारिणी ने समिति से किया। समिति ने तथा लेख्यधारिणी ने मिल कर तथा उपर वर्णित सम्पत्ति की सभी सुविधाओं को देखते हुए इसका

आज के बाजार भाव के अनुसार उचित मूल्य मुबलिग 50000) पचास हजार रुपये निर्धारित किया और यह निर्धारित मूल्य को देकर लेख्यधारिणी ने इसे स्वयं ही लेना भी स्वीकार किया।

समिति ने लेख्यधारिणी को साफ साफ समझा दिया है कि इस विक्रय भूखण्ड के दक्षिण तरफ समिति ने चौदह फीट चौड़ा रास्ता सबों को आने जाने की सुविधा के लिए छोड़ा है। इस चौदह फीट चौड़े रास्ते की तरफ लेख्यधारिणी को अपनी तरफ से तथा अपनी हस्तान्तरित भूमि में से तीन फीट चौड़ी भू पट्टी छोड़ना पड़ेगा जिससे इस चौदह फीट चौड़े रास्ते की चौड़ाई और भी बढ़ जाये तथा सबों को आने जाने में सुविधा प्राप्त हो सके। समिति के इस प्रस्ताव का लेख्यधारिणी ने भी अनुमोदन किया तथा सहर्ष स्वीकार भी किया।

समिति तथा लेख्यधारिणी के बीच यह तय हुआ कि समिति के सचिव श्री उदय प्रताप सिंह उपर वर्णित सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्र को लिखवा कर तथा इसकी रजिस्ट्री भी लेख्यधारिणी के नाम से कर देंगे और रजिस्ट्री के बाद समिति के सचिव इसके मूल्य की रकम को लेख्यधारिणी से वसूल पाकर इसके रजिस्ट्री की रसीद को लेख्यधारिणी अथवा इनके द्वारा मनोनित व्यक्ति के नाम से दर्ज करके दे देंगे। सचिव द्वारा इस प्रकार से रसीद को दर्ज करके दिया जाना ही इस बात का पूर्ण तथा अकाट्य प्रमाण होगा कि समिति ने इसके मूल्य की पूरी रकम को वसूल पा लिया है और मूल्य की रकम में से समिति को अब कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया।

मूल्य की इस प्रकार से वसूली के साथ ही यह हस्तान्तरण पत्र पूरी तरह से अमल में आ गया और समिति ने उपर वर्णित सम्पत्ति पर से अपना स्वत्व

४

मालिकाना तथा दखल कब्जा हटा कर इस पर खास लेख्यधारिणी श्रीमती मनोरमा देवी को मालिकाना तथा दखल कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में समिति को आज तक जो भी हक, अधिकार तथा सुविधायें प्राप्त थे अथवा भविष्य में प्राप्त होते, वे सब ज्यों के त्यों लेख्यधारिणी को प्राप्त हुए। अब इन्हें पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त हुआ कि इसका अपनी इच्छानुसार उपयोग तथा उपभोग करके लाभ उठावें। इसमें अपना घर निर्माण करावें, अपने परिवार सहित निवास करें अथवा जैसा उचित समझें इसका इस्तेमाल करें। इससे अब समिति को कुछ भी सम्बन्ध या सरोकार नहीं रह गया। लेख्यधारिणी को चाहिये कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में बिहार सरकार के सिरिस्ते में अंचल ऑफिस डालटनगंज द्वारा अपने नाम का दाखिल खारिज करा लें तथा इसके लगान की रसीदें को स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।

इसलिए मैंने अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वस्थता में अपनी इच्छा तथा प्रसन्नता से यह हस्तान्तरण पत्र (Transferdeed) को लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

आज तारीख – 12-1-2000 ईस्वी।

कातिब: – विजय शंकर प्रसाद,
डालटनगंज।